दूसरे प्रदेश के नंबर वाले वाहनों के पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना लगेगा, राज्यभर में चलाया जाएगा अभियान

बिहार में अन्य राज्यों के नंबर वाले वाहन अब नहीं चलेंगे

परिवहन विभाग

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अन्य राज्यों में निबंधित वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना लगेगा। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ राज्यभर में अभियान चलाने जा रहा। विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। कहा है कि अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों का परिचालन बिहार में बेरोकटोक जारी है। यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन भी है। अन्य राज्यों में निबंधित वाहन बिहार में 30 दिनों तक ही रखे जा सकते हैं। अगर इस अवधि के बाद वाहन पकड़ा जाता है, तो पांच हजार रुपए फाइन लगेगा। वाहन स्वामी को यह प्रमाणित करना होगा कि उसका वाहन 30 दिनों तक के लिए ही राज्य में है। अगर वह इसमें असफल रहता तो पांच हजार फाइन देना होगा। यह फाइन भी 24 घंटे के लिए ही मान्य होगा। अगर 24 घंटे बाद दुबारा वाहन पकड़ा जाता है तो पांच हजार फाइन तो लगेगा ही, कॉमर्शियल वाहन टैक्स की तीन गुनी राशि भी देनी होगी। अगर दूसरे राज्य के निबंधित वाहन बिहार में चलाना चाहते हैं तो बिहार में वाहन का निबंधन कराना होगा। निबंधित वाहन का 15 साल में जितना समय बचा है, उसका टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा, लेकिन वाहन का नंबर वही होगा। फिर एक साल के बाद वाहन मालिक को वाहन नंबर के लिए आवेदन करना होगा और बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। गौरतलब है कि बिहार की तुलना में झारखंड सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में वाहन टैक्स कम है। बिहार में जहां वाहन टैक्स 8 से 12 प्रतिशत है, वहीं झारखंड में 6 प्रतिशत है। जब से बिहार में वाहनों का टैक्स बढ़ा है तब से वाहन मालिक पड़ोसी राज्यों से वाहन खरीदकर वहीं निबंधन करा ले रहे हैं और उनका परिचालन बिहार में कर रहे हैं। इससे बिहार को राजस्व क्षति हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों के जो लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं या दूसरे राज्यों से तबादला होकर आए हैं, उन्हें इससे परेशानी होगी।

सावधान

- सीमित समय तक दूसरे राज्यों का वाहन चलाने की रहेगी छूट
- परिवहन विभाग के सचिव ने सभी डीटीओ को दिया निर्देश

अन्य राज्यों में निबंधित वाहन अब बिहार में नहीं चलेंगे। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए आर्थिक दंड लगेगा।

-संजय अग्रवाल, सचिव, परिवहन